





## भारत सरकार/ Government of India

वित्त मत्रांलय/ Ministry of Finance // राजस्व विभाग/ Department of Revenue केन्द्रीय कर, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूरु अंचल

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, BENGALURU ZONE पी.बी.सं.5400, सी.आर.भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूरु-560001

P.B.NO.5400, C.R. BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU-560001

Office email:-ccbz-excise@nic.in Section email:-ao.estt-pccobz@gov.in Ph:-080-22864523 Extn 257/258

দার্ল ম./FILE NO.-GCCO/II/3/PROM/2/2024-ESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-BENGALURU

## स्थापना आदेश सं. 180/2024 ESTABLISHMENT ORDER NO. 180/2024

विषय: केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक [ग्रुप ख (राजपत्रित)] के संवर्ग में पदोन्नति - आदेश ।

Sub:- Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax, Central Excise and Customs [Group "B" (Gaz)] – Order.

\*\*\*\*

वर्ष 2024 के वार्षिक डी.पी.सी. के फलस्वरूप, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षक (नीचे तालिका-1 में दिखाए गए) को नियमित आधार पर बेंगलूरु सी.जी.एस.टी., केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अंचल में केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ग्रुप- ख (राजपत्रित) के अधीक्षक संवर्ग में, पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान के साथ-साथ स्वीकार्य सामान्य भत्ते पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent to holding the Annual DPC for the year 2024, the following Inspector of Central Tax, Central Excise and Customs (shown in Table – 1 below) is hereby promoted to the grade of **Superintendent of Central Tax, Central Excise and Customs Group 'B'** (Gazetted) on regular basis, in the Bengaluru CGST, Central Excise & Customs Zone, in the pay scale of Level 8 of Pay Matrix plus usual allowances as admissible with effect from the date of assumption of the charge of the promoted post and until further orders.

## तालिका-1/**TABLE - 1**:

क्रम सं. SL. NO.	अधिकारी का नाम (श्री) NAME OF THE OFFICER (SRI)	जन्म तिथि DATE OF BIRTH	वर्तमान तैनातित स्थान PRESENT PLACE OF POSTING
1.	ASHISH KUMAR SINGH	15/07/1993	BENGALURU CUSTOMS - CITY

2 . उपरोक्त पदोन्नित माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में श्री समीरन रॉय एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर डब्ल्यूपीसीटी संख्या 261/2008 के परिणाम तथा जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य द्वारा फा.सं. 36012/45/2005-स्था.(आरईएस.) के अंतर्गत डीओपीटी के दिनांक 10.08.2010 के कार्यालय जापन के कार्यान्वयन के मुद्दे पर दायर एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

The above promotion is subject to the outcome of the WPCT No. 261/2008 filed by Shri Samiran Roy & Ors. v/s. Union of India in the Hon'ble Calcutta High Court and the final decision of the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 30621 of 2011 filed by Jarnail Singh & Ors. v/s Lachhmi Narain Gupta & Ors. on the issue of implementation of DOPT's O.M. dated 10.08.2010 under F.No. 36012/45/2005-Estt(Res.).

3. अधीक्षक के संवर्ग में उपर्युक्त पदोन्नति किसी न्यायिक फोरम के समक्ष वरीयता/पदोन्नति/आरक्षण/सतर्कता या अन्य कोई मामलों पर लंबित किसी भी प्रकार के मुकदमे के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा ।

The above promotion to the grade of Superintendent is subject to the outcome of any litigation pending on the issue of seniority/ promotion/ reservation/ vigilance or any other issues before any judicial forum.

4. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ अगले नियमित स्थानांतरण का आदेश दिए जाने तक उपरोक्त अधिकारी की अधीक्षक के पद पर पदोन्नति 'इन-सीटू' आधार पर होगी।

The promotion of the above officer to the grade of Superintendent shall be on in situ basis till regular postings are ordered with the approval of the Competent Authority.

6. उपर्युक्त दर्शाये गए अधिकारी को दिनांक 2.9.2024 या उसके पहले निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा । अगर अधिकारी पदोन्नती को अस्वीकृत करतें हैं तो वह अधिकारी पदोन्नती का अस्वीकृती को कारण-सिहत लिखित रूप में इस कार्यालय में (सक्षम माध्यम द्वारा) दिए गए दिनांक से पहले पहुंचाए । यादी तालिका-1 में दर्शाये गए अधिकारी पदोन्नत पद पर दिए गए दिनांक या उससे पहले कार्यग्रहण नहीं करतें हैं तो डी.ओ.पी.टी के निदेशों के अधीन उन्हें पदोन्नती में एक साल के लिए विवर्जित करने की कार्रवाई ली जाएगी।

The officer indicated above should report in the promoted post on or before **2.9.2024.** If the officer does not want to accept the promotion, he may make a written request to this office (through proper channel) giving reasons for refusal of promotion, so that the same may reach this office before the given due date here. In case the officer in Table-1 fails to join on or before the given due date, it shall be assumed that the officer has refused to accept promotion, and further action for debarment of promotion for one year

will be taken by this office as per DoPT guidelines.

7 . उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करते समय जी.एफ.आर. - 16 के प्रारूप में अपनी कार्यभार रिपोर्ट (दो प्रतियों में) इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित किया जाए। उपरोक्त अधिकारी के संबंध में वेतन निर्धारण एफआर 22 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। उपरोक्त अधिकारी को नियमित पदोन्नित पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प देना है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिकारी को पहले से ही अधीक्षक के पद से संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर में एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तो वे इस आदेश के बाद किसी भी प्रकार के वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे।

The officer promoted above, on taking over charge, should submit his charge report in the form of GFR 16 (in duplicate) to this office, endorsing copies to the concerned officers. The pay fixation in respect of the above officer shall be made under the provisions of FR 22. The above officer should exercise his option for fixation of pay within ONE MONTH from the date of assumption of charge on regular promotion. Further, in case the promoted officer has already been granted financial up-gradation under the MACP Scheme to the Level in the Pay Matrix associated with the post of Superintendent, he is not entitled for any pay fixation on issue of this order.

8. संबंधित प्रधान आयुक्त/ प्रधान एडीजी/ आयुक्त/ एडीजी और संबंधित अन्य सभी पर्यवेक्षी/ नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की यदि अधिकारी जिसका नाम ऊपर तालिका-1 में है, निलंबित है या किसी आरोप पत्र या अभियोजन का सामना कर रहा है, उन्हें पदोन्नित पर अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के अनुमित नहीं दी जानी चाहिए और इस तथ्य को तुरंत इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपरोक्त तालिका-1 में दर्शाए गए अधिकारी ने वीआरएस ले लिया है या त्यागपत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो यह आदेश उस पर लागू नहीं होगा तथा संबंधित प्राधिकारी इससे संबंधित तथ्यों की सूचना तत्काल इस कार्यालय को देंगे।

The concerned Principal Commissioner/ Pr. ADG/ Commissioner/ ADG and all other supervisory/ controlling officers concerned shall ensure that if the officer whose name has figured in the Table-1 above is under suspension or facing any chargesheet or prosecution, he should not be allowed to assume charge of the post of Superintendent on promotion and this fact should be reported to this office immediately. Further, if the officer figuring in the Table-1 above has taken VRS or resigned or expired, this order would not be applicable to him and the concerned authorities shall report the facts relating thereto to this office immediately.

9. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.), बेंगलूरु अंचल के मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Central Tax (CGST), Bengaluru Zone.

(श्रेयस के.एम./ SHREYAS K.M) संयुक्त आयुक्त (प्र.मृ.आ.का) JOINT COMMISSIONER (PCCO)

सेवा में/To

संबंधित अधिकारी/The Individuals (through the officers concerned).

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:

- 1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु अंचल, को कृपया सूचनार्थ The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, for kind information
- 2) आयुक्त, बेंगलूरु सीमा शुल्क नगर आयुक्तालय The Commissioner, Bengaluru Customs - City Commissionerate
- 3) मुख्य लेखा अधिकारी, बेंगलूरु सीमा शुल्क नगर आयुक्तालय The CAO, Bengaluru Customs – Bengaluru Customs – City Commissionerat
- 4) प्रशासन अधिकारी (स्था.-बी) , पी.सी.सी.ओ., केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल The AO (Estt B), PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone .
- 5) अधीक्षक (सिस्टम), पी.सी.सी.ओ., केंद्रीय कर, बेंगलूरु अंचल को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

The Superintendent (Systems), PCCO, Central Tax, Bengaluru Zone with a request to upload the order to the departmental website.

- 6) पीएओ, केंद्रीय कर & सीमा शुल्क, बेंगलूरु/मैसूर/मंगलुरु/बेलगवी The PAO, Central Tax & Customs, Bengaluru
- 7) सचिव, अखिल भारतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजपत्रित/अराजपत्रित कार्यकारी अधिकारी संघ, कर्नाटक इकाई।

The Secretary, All India Association of C.Ex. Gazetted /Non-Gaz.Executive Officers, Karnataka Unit.

8) ई.ओ./गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।/E.O. / Guard file / Notice Board.